

छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण

प्रलिस के लयः

छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण, छावनी क्षेत्रों की बरटिश-युग की अवधारणा, छावनी अधनियम, 1924, छावनी अधनियम, 2006

मेन्स के लयः

छावनी क्षेत्रों का रूपांतरण

चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने सैन्य स्टेशनों से नागरिक क्षेत्रों को अलग करने और उन्हें संबधति राज्यों में नगर पालिकाओं के साथ एकीकृत करने का नरिणय लया है, जसिका उद्देश्य छावनी क्षेत्रों की बरटिश-युग की अवधारणा में बदलाव लाना है ।

- यह नरिणय, जो स्वतंत्रता-पूरव युग के दौरान स्थापति कई छावनी क्षेत्रों को प्रभावति करता है, प्रशासनिक परदृश्य को नया आकार देने और बेहतर नागरिक-सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लयि नरिधारति है ।

भारत में छावनी प्रशासन का नयितरणः

- छावनी के वषिय मेंः**
 - सैन्य और नागरिक दोनों आबादी को मलाकर छावनयिँ सैन्य स्टेशनों से भनिन होती हैं, जो पूरी तरह से सशस्त्र बलों के प्रशकिषण तथा आवास के लयि होती हैं ।
- पृष्ठभूमिः**
 - भारत में छावनी क्षेत्रों की उत्पत्ति औपनविशकि युग में हुई थी जब बरटिशों ने नयितरण बनाए रखने और अपने क्षेत्रीय हतियों को सुरकषति करने के लयि सैन्य स्टेशनों की स्थापना की थी ।
 - ये क्षेत्र वशिष रूप से सैन्य कर्मयिों के लयि आरकषति थे और नागरिक क्षेत्रों से अलग शासति थे ।
 - समय के साथ सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच सीमांकन से अलग-अलग समुदाय बन गए तथा उनके बीच बातचीत सीमति हो गई ।
- छावनयिँ और उनकी संरचनाः**
 - क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर छावनयिों को चार श्रेणियों में वरगीकृत कया गया है - श्रेणी- I से श्रेणी- IV तक ।
 - जबकि श्रेणी- I छावनी में आठ नरिवाचति नागरिक और बोर्ड में आठ सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं, वहीं श्रेणी- IV छावनी में दो नरिवाचति नागरिक और दो सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं ।
 - यह बोर्ड छावनी के प्रशासन के वभिनिन पहलुओं के लयि ज़मिमेदार है ।
 - छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है और रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य-सचवि होता है ।
 - आधिकारिक प्रतनिधित्व को संतुलति करने के लयि बोर्ड में नरिवाचति और नामांकति/पदेन सदस्यों का समान प्रतनिधित्व है ।
- प्रशासनिक नयितरणः**
 - रक्षा मंत्रालय का एक अंतर-सेवा संगठन सीधे छावनी प्रशासन को नयितरति करता है ।
 - भारत के संवधान की संघ सूची (अनुसूची VII) की प्रवषिटि 3 के अनुसार, छावनयिों का शहरी स्वशासन और उनमें आवास, भारत संघ का वषिय है ।
 - देश में 60 से अधिक छावनयिँ हैं जनिहें छावनी अधनियम, 1924 (छावनी अधनियम, 2006 द्वारा) के अंतर्गत अधसूचति कया गया है ।
- नगर पालिकाओं के शहरी शासन की प्रशासनिक संरचना और वनियमनः**
 - केंद्रीय स्तर परः 'शहरी स्थानीय सरकार' का वषिय नमिनलखिति तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता हैः
 - आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ।
 - छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय ।
 - केंद्रशासति प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय ।

◦ राज्य स्तर पर:

- शहरी शासन संवधान के तहत राज्य सूची में शामिल है। इस प्रकार ULBs का प्रशासनिक ढाँचा और वनियमन राज्यों में भिन्न-भिन्न है।
- संवधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)**, (नगर नगिमों सहित) की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - इसने राज्य सरकारों को इन निकायों को राजस्व एकत्र करने के लिये कुछ कार्य, अधिकार और शक्तियाँ सौंपने का अधिकार दिया, तथा उनके लिये समय-समय पर चुनाव अनिवार्य कर दिया।

■ समस्याएँ:

- छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने लंबे समय से वभिन्न प्रतबंधों से संबंधित मुद्दों की शिकायत की है और कहा है कि छावनी बोर्ड उन्हें हल करने में वफिल रहे हैं।
 - नविसी नागरिकों का दावा है कि छावनी बोर्ड उन समस्याओं का समाधान खोजने में वफिल रहे हैं जिनका वे दैनिक आधार पर सामना करते हैं, जैसे कि गृह ऋण तक पहुँच तथा मैदान के अंदर आवाजाही की स्वतंत्रता।

छावनी क्षेत्रों को अलग करने का महत्त्व:

- **नागरिक-सैन्य संबंधों को मज़बूत करना:** सैन्य स्टेशनों एवं नागरिक क्षेत्रों के पृथक्करण से सशस्त्र बलों तथा नागरिक आबादी के बीच बेहतर समझ के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
- इससे आपसी विश्वास एवं सम्मान भी बढ़ेगा जिससे शांति और संकट के समय में सहज संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
- **स्थानीय शासन और नागरिक सुवधाएँ:** नागरिक क्षेत्रों को नगरपालिका शासन में एकीकृत करने से नागरिक सुवधाओं और बुनियादी संरचना के विकास में सुधार होगा। स्थानीय शासन के मामलों में नविसियों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप शहरी नयोजन और सार्वजनिक सेवाएँ बेहतर होंगी।
- **ऐतहासिक वरिसत और शहरी नयोजन:** अनेक छावनी कस्बों में औपनिवेशिक युग की समृद्ध ऐतहासिक वरिसत है। यह नरिणय आधुनिक शहरी नयोजन को सुवधाजनक बनाते हुए इन क्षेत्रों के ऐतहासिक महत्त्व को संरक्षित करने के बारे में प्रश्न उठा सकता है।
- **कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ:** छावनी कस्बे से एक नगर पालिका में परिवर्तन वभिन्न कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। सुचारु एवं कुशल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

डीमर्जर के कारण उत्पन्न चिंताएँ:

- वशिषज्जों का मानना है कि यदि छावनीय समाप्त कर दी गई तो इससे इन क्षेत्रों में सेना के प्रशिक्षण एवं प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा सुरक्षा के लिये भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

आगे की राह

- छावनी कस्बों में नागरिक क्षेत्रों से सैन्य स्टेशनों को अलग करने का सरकार का नरिणय प्रशासन में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है जिसका उद्देश्य सैन्य और नागरिक समुदायों के बीच की दूरी को कम कर सकता है।

स्रोत: पी.आई.बी.